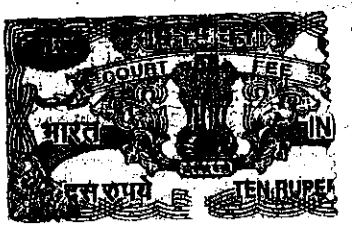

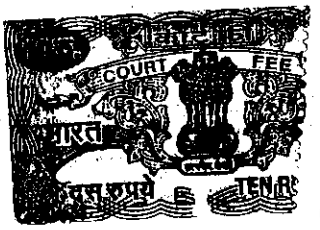

(47)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 R 11/17

R-1077 पी-17

नत्थी लाल पुत्र हेतसिंह जाति कुशवाह निवासी ग्राम गोदूपुरा तह0 पोरसा जिला मुरैना म0प्र0 ....आवेदक

श्री कृष्ण शर्मा, अभि0
द्वारा दि 3-4-17 को

3-4-17

बनाम

1—बहादुरसिंह 2—केशवसिंह
3—सुरेन्द्रसिंह 4—मलखानसिंह
5—पप्पू ना0वा0

पुत्रगण रामप्रसाद ना0वा0 सरक्षक मॉ अनारदेवी पत्नी रामप्रसाद

6—अनारदेवी पत्नी रामप्रसाद

7—गीताराम 8—रनवीर
9—कमलसिंह 10—अशोक ना0वा0

पुत्रगण पातीराम ना0वा0 संरक्षक पिता पातीराम समस्त जाति कुशवाह निवासी ग्राम गोदूपुरा तह0 पोरसा जिला मुरैना

........................अनावेदक

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 28/02/2017 न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय पोरसा जिला मुरैना के प्र0क0 7/13–14×अ/6 अपील/निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है –

1— यह कि ग्राम गोदूपुरा मौजा बरबाई तह0 पोरसा जिला मुरैना में स्थित कृषि भूमि सर्वे क्र0 1255 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा का आवेदक का नाम पटवारी कागजात

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1077–दो/17 जिला–मुरैना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–04–17	आवेदक की ओर से श्री श्रीकृष्ण शर्मा उपस्थित होकर यह निगरानी तहसीलदार तहसील पोरसा जिला मुरैना के प्रकरण कमांक 7/अ–6/2013–14 में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 28.2.17 के विरूद्व इस न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह यह कि ग्राम गोदूपुरा मौजा बरबाई तहसील पोरसा जिला मुरैना में स्थित कृषि भूमि सर्वे कमांक 1255 रकवा 1 बीघा 17 बिस्वा का अनावेदकगण द्वारा तहसील पोरसा के समक्ष एक आवेदन पत्र धारा 115–116 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत इन्दाज दुरस्ती बावत प्रस्तुत किया। आवेदक द्वारा तहसीलदार पोरसा के न्यायालय में प्रकरण की प्रचलनशीलता एवं अधिकार क्षेत्र के संबंध में जाबव प्रस्तुत कर आपत्ति प्रस्तुत की तथा दिनांक 7.2.17 को सूची अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये। तहसीलदार पोरसा द्वारा 22.2.17 को आपत्ति का निराकरण न करते हुये साक्ष्य हेतु प्रकरण में पेशी नियत की गई इसी से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।	

3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि धारा 115 में इन्द्राज दुरूस्ती तहसीलदार महोदय द्वारा स्वयं किया जा सकता है जिसकी समय सीमा एक वर्ष दी गई है। उनके द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र अवधि वाह्य है जो प्रचलन योग्य नहीं है। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि तहसीलदार महोदय द्वारा पहले अवधि के बिन्दु पर निराकरण करना चाहिये न कि गुणदोष पर, प्रकरण में जो साक्ष्य हेतु पेशी नियत की गई है वह विधि प्रावधानों से उचित नहीं है इसलिये आवेदक की निगरानी ग्राह्य की जाकर अभिलेख बुलाने का अनुरोध किया गया है।

4– आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया तथा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। प्रकरण में उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार पोरसा द्वारा दिनांक 28.2.17 को साक्ष्य हेतु प्रकरण नियत किया गया है, प्रकरण में उभयपक्ष से साक्ष्य लेना कोई विधि के प्रकार से अनुचित नहीं है। **" रिपोर्ट पटवारी या राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट या शपथ पत्र काफी नहीं है उनके कथन लिये जायेंगे और कूट परीक्षण विपक्ष को अवसर दिया जावेगा" पंचनामा कोई राजस्व निरीक्षक का**

साक्ष्य नहीं होता जब तक कि तथा कथित पंचो का जांच हेतु कथन पर परीक्षण न हो, इस सब जांच विधिवत करने के बाद तहसीलदार या प्राधिकारी कथित एण्ट्री के अशुद्व या गलत होने के निष्कर्ष पर पहुंच सकना है यदि किसी तहसीलदार को यह पता चले इसका तत्पर्य केवल रिपोर्ट उसके पास सबमिट करने पर जानकारी होने मात्र से नहीं बल्कि जांच के निष्कर्ष निकालने से है और न्यायिक आदेश देने में है। इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये तहसीलदार पोरसा द्वारा साक्ष्य हेतु प्रकरण नियत किया गया है और आवेदक को अपना साक्ष्य रखने का पूर्ण अवसर है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। पक्षकार सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य